

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ०2-101/2013(खण्ड- $\frac{11}{24}$)(खण्ड)- 1771

पटना, दिनांक- 10/9/26

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी अन्तर्गत NON ISI India Mark-III एवं सिंगुर पम्प के उपयोग के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-852, दिनांक-17.06.2020 द्वारा श्री शिव शंकर दयाल, तत० कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

02. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री संतोष कुमार मल्ल, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-सह-जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-50, दिनांक-20.06.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री दयाल के विरुद्ध आरोप पत्र गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

03. विभाग द्वारा जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री दयाल को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री शिव शंकर दयाल, तत० कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गयाजी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी को विषयांकित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया जाता है।

04. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापक-5/आ०2-101/2013(खण्ड- $\frac{11}{24}$)(खण्ड)-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ०2-101/2013(खण्ड-¹¹/₂₄)(खण्ड)- 1771

पटना, दिनांक- 10/9/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, गयाजी अंचल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/श्री शिव शंकर दयाल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी /आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव
